दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 2-06-2026

विषय सूची

भारत की जेलें विचाराधीन बंदियों के कारण निरंतर अत्यधिक भीड़भाड़ से ग्रस्त

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और रोजगार का भविष्य

भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य समुद्री सुरक्षा पर चर्चा

भारत की गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना

कृत्रिम जैविकी (Synthetic Biology) की उभरती हुई क्षमता

संक्षिप्त समाचार

माजुली द्वीप

ऑकस (AUKUS) गठबंधन

आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ECLGS) 5.0

समुद्री खाद्य निर्यात 2025-26 में रिकॉर्ड स्तर पर

भारत की जेलें विचाराधीन बंदियों के कारण निरंतर अत्यधिक भीड़भाड़ से ग्रस्त

संदर्भ

- राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा जारी नवीनतम कारागार सांख्यिकी रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2024 में भारतीय जेलों का उपयोग दर घटकर दशक के न्यूनतम स्तर 112.7% पर आ गया।
    - फिर भी, भारतीय कारागारों में भीड़भाड़ की समस्या बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण विचाराधीन बंदियों की उच्च संख्या है।

प्रमुख बिंदु

- **जेलों में भीड़भाड़:** वर्ष 2024 के अंत में भारत में लगभग 1,333 जेलें थीं जिनकी क्षमता 4.53 लाख बंदियों की थी।
    - किन्तु 5.11 लाख से अधिक बंदियों की वास्तविक संख्या के कारण कारागार अब भी भीड़भाड़ वाले रहे।
- **राज्यों में कारागार क्षमता उपयोग दर :** वर्ष 2024 में आधे से अधिक राज्यों में उपयोग दर 100% से अधिक रही। दिल्ली ने देश में सर्वाधिक उपयोग दर 194% दर्ज की।
    - किसी भी जेल का उपयोग दर उस जेल में रखे गए बंदियों की संख्या को उसकी स्वीकृत क्षमता (100) के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। यदि यह दर 100 से अधिक हो, तो जेल को भीड़भाड़ वाला माना जाता है।
- **विचाराधीन बंदियों की अधिक संख्या:** वर्ष 2024 में कुल बंदी जनसंख्या का लगभग 73% विचाराधीन बंदी थे।
    - दिल्ली और बिहार में क्रमशः 87% से अधिक बंदी विचाराधीन थे, जिससे ये राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सर्वाधिक अनुपात वाले रहे।

भारत में जेलों की भीड़भाड़ के कारण

- **न्यायिक विलंब:** आपराधिक मामलों की भारी लंबित संख्या के कारण विचाराधीन बंदियों की हिरासत लंबी होती जाती है।
- **अतिअपराधीकरण:** छोटे अपराधों के लिए भी कारावास का अत्यधिक प्रयोग जेलों में भीड़ वृद्धि करता है।
- **जमानत संबंधी चुनौतियाँ:** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वित्तीय कठिनाइयों के कारण जमानत प्राप्त नहीं कर पाते। जागरूकता की कमी और अपर्याप्त कानूनी सहायता भी हिरासत को लंबा करती है।
- **अपर्याप्त कारागार अवसंरचना:** बढ़ती बंदी संख्या के अनुरूप कारागार अवसंरचना का विस्तार नहीं हुआ है।

चिंताएँ

- **मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में विफलता:** भीड़भाड़ के कारण बंदियों की स्वास्थ्य सेवा, भोजन और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति बाधित होती है।
- **मौलिक अधिकारों का हनन:** यह बंदियों के पर्याप्त जीवन स्तर और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार को भी खतरे में डालता है।
- **सुरक्षा और स्वास्थ्य समस्याएँ:** भीड़भाड़ सुरक्षा समस्याएँ उत्पन्न करती है, आवश्यक सेवाओं पर दबाव डालती है, गंभीर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करती है और सुधारात्मक कार्यक्रमों को बाधित करती है।
- **प्रशासनिक समस्या:** भीड़भाड़ वाले कारागारों में कठोर अपराधियों को कम गंभीर अपराधियों से अलग करना असंभव हो जाता है।
- **अंतरराष्ट्रीय मानक:** भीड़भाड़ के कारण बंदियों को संयुक्त राष्ट्र के न्यूनतम मानकों के विपरीत परिस्थितियों में रखा जाता है, जिनका भारत हस्ताक्षरकर्ता है।

कारागार सुधार समितियाँ

- **न्यायमूर्ति ए.एन. मुल्ला समिति (1980–83):** विचाराधीन बंदियों को दोषसिद्ध बंदियों से अलग रखने तथा कारागार की स्थिति, पोषण और स्वच्छता सुधारने की सिफारिश की।
- **न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय समिति:** कारागारों में भीड़ कम करने, शीघ्र सुनवाई, कानूनी सहायता सुधार और प्रबंधन में तकनीक के प्रयोग की सिफारिश की।
- **कृष्ण अय्यर समिति:** महिलाओं के लिए अलग कारागार सुविधाओं का समर्थन किया ताकि शोषण रोका जा सके

न्यायिक हस्तक्षेप

- **हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य:** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है।
- **राजस्थान राज्य बनाम बलचंद:** सर्वोच्च न्यायालय ने "जमानत नियम है और जेल अपवाद" का सिद्धांत स्थापित किया, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बल मिला।

सरकारी पहल

- **मॉडल कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएँ अधिनियम, 2023:** गृह मंत्रालय ने वर्ष 2023 में **'मॉडल कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएँ अधिनियम'** तैयार किया था।
    - इस अधिनियम में बंदियों के **सुधार, पुनर्वास तथा समाज में पुनः एकीकरण** के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं।
    - इसके अतिरिक्त, इसमें **'बंदी कल्याण कार्यक्रमों'** तथा **'अनुवर्ती देखभाल एवं पुनर्वास सेवाओं'** को संस्थागत देखभाल के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है।
- **विचाराधीन बंदी समीक्षा समितियाँ (UTRCs):** सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में प्रत्येक जिले में विचाराधीन बंदी समीक्षा समितियों का गठन किया गया है।
    - ये समितियाँ समय-समय पर उन विचाराधीन बंदियों के मामलों की समीक्षा करती हैं जो जमानत या निजी मुचलके पर रिहाई के पात्र होते हैं।
    - इससे अनावश्यक एवं दीर्घकालिक निरुद्धता में कमी आती है तथा कारागारों में भीड़भाड़ कम करने में सहायता मिलती है।
- **ई-प्रिज़न्स परियोजना :** यह राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत एक **मिशन मोड परियोजना** है।
    - इसके माध्यम से कारागार अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जाता है तथा कारागारों को न्यायालयों, पुलिस और विधिक सेवा प्राधिकरणों से एकीकृत किया जाता है।
    - इससे जमानत, पैरोल तथा रिहाई संबंधी आदेशों के त्वरित निष्पादन में सुविधा होती है और अनावश्यक विलंब कम होता है।
- **खुले कारागार/खुले सुधारात्मक संस्थान :** ये संस्थान पात्र बंदियों को अपेक्षाकृत कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में अपनी सजा पूर्ण करने का अवसर प्रदान करते हैं।
    - इससे पारंपरिक कारागारों पर दबाव कम होता है तथा बंदियों के पुनर्वास एवं सामाजिक पुनर्समावेशन को प्रोत्साहन मिलता है।
- **विधिक सहायता एवं जमानत सुधार :** राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
    - इसके अतिरिक्त, **'सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स स्कीम'** के अंतर्गत उन बंदियों को सहायता प्रदान की जाती है जो जमानत बांड या जुर्माने की राशि वहन करने में असमर्थ होते हैं, जिससे उनकी रिहाई संभव हो पाती है।
- **कारागार अवसंरचना का विस्तार :** अनेक राज्यों द्वारा नए सुधारात्मक संस्थानों के निर्माण तथा वर्तमान कारागारों के आधुनिकीकरण हेतु विभिन्न परियोजनाएँ प्रारंभ की गई हैं।
    - इन पहलों का उद्देश्य कारागार क्षमता में वृद्धि करना तथा बंदियों के लिए बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

आगे की राह

- **प्रौद्योगिकी का एकीकरण :** अभिलेखों के बेहतर संधारण, निगरानी तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल कारागार प्रबंधन प्रणालियों को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।
    - इसके अतिरिक्त, न्यायालयीन सुनवाई को सुगम बनाने तथा अनावश्यक विलंब को कम करने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जाना चाहिए।
- **बंदियों का सामाजिक पुनर्समावेशन :** कारागार व्यवस्था में व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे रिहाई के पश्चात बंदियों की रोजगार-योग्यता में वृद्धि हो सके और वे समाज में सम्मानजनक रूप से पुनः स्थापित हो सकें।

NEXT IAS

- **विधिक सहायता का सुदृढ़ीकरण:** विधिक सहायता तंत्र को अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए ताकि बंदियों, विशेषकर विचाराधीन बंदियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को समयबद्ध एवं प्रभावी विधिक प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराया जा सके।
- **कारावास के विकल्पों को प्रोत्साहन :** लघु एवं कम गंभीर अपराधों के मामलों में सामुदायिक सेवा, परिवीक्षा तथा गैर-अभिरक्षात्मक दंड जैसे विकल्पों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **खुले कारागार मॉडल का विस्तार:** कारागारों में भीड़भाड़ को कम करने तथा बंदियों के पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में खुले कारागार मॉडल का विस्तार किया जाना चाहिए।

स्रोत: TH

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और रोजगार का भविष्य

संदर्भ

- हाल के सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का तीव्र अंगीकरण भारत के स्नातक रोजगार परिदृश्य को पुनर्गठित कर रहा है, जिससे रोजगार-योग्यता और कार्यबल विकास के समक्ष नई चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं।

AI रोजगार बाजार को किस प्रकार परिवर्तित कर रहा है?

- **प्रवेश-स्तर के अवसरों में कमी :** AI उपकरण अब उन नियमित कार्यों को करने में सक्षम होते जा रहे हैं जो पारंपरिक रूप से नए स्नातकों को सौंपे जाते थे।
    - डेटा प्रोसेसिंग, बुनियादी कोडिंग, रिपोर्ट तैयार करना, बाजार अनुसंधान और प्रस्तुति डिज़ाइन जैसे कार्य अब स्वचालित किए जा रहे हैं।
    - रैंडस्टैड डिजिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार, 30% से अधिक भारतीय संगठन AI के विस्तार के साथ स्नातक भर्ती को कम करने की योजना बना रहे हैं।
- **"हायर-एंड-ट्रेन" मॉडल में गिरावट :** पहले संगठन बड़ी संख्या में स्नातकों की भर्ती कर उन्हें ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करते थे।
    - अब नियोक्ता ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो AI-सक्षम कार्य वातावरण में तुरंत योगदान दे सकें।
- **स्नातकों में बढ़ती चिंता :** अधिकांश स्नातक मानते हैं कि AI और स्वचालन रोजगार प्राप्त करना अधिक कठिन बना सकते हैं।
    - व्यावसायिक प्रमाणपत्र, इंटर्नशिप और व्यावहारिक अनुभव को अब पारंपरिक डिग्रियों की तुलना में अधिक महत्व दिया जा रहा है।
- **निरंतर कौशल उन्नयन का बढ़ता महत्व :** तीव्र तकनीकी परिवर्तन के कारण आजीवन सीखना एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन गया है।
    - AI कौशल, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और डिजिटल दक्षताओं की मांग विभिन्न क्षेत्रों में तीव्रता से बढ़ रही है।

AI विभिन्न रोजगारों को कैसे प्रभावित करता है?

- **उच्च-कुशल रोजगार अधिक प्रभावित :** शोध से संकेत मिलता है कि उच्च-कुशल व्यवसाय वर्तमान में निम्न-कुशल रोजगारों की तुलना में अधिक AI-प्रभावित हैं।
    - सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सलाहकार, विश्लेषक, शोधकर्ता, वकील और प्रबंधक जैसे पेशेवरों के कार्यों का एक बड़ा हिस्सा अब स्वचालित हो रहा है।
    - जनरेटिव AI कई ऐसे संज्ञानात्मक कार्य कर सकता है जिन्हें पहले स्वचालित करना कठिन माना जाता था।
- **निम्न-कुशल रोजगार अपेक्षाकृत सुरक्षित :** कई निम्न-कुशल कार्यों में शारीरिक श्रम, पारस्परिक संपर्क एवं संदर्भ-विशिष्ट निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।
    - परिणामस्वरूप, निर्माण कार्य, देखभाल सेवाएँ, आतिथ्य सेवाएँ और कृषि श्रम जैसी रोजगार अपेक्षाकृत कम AI-प्रभावित हैं।

भारत पर प्रभाव

- **जनसांख्यिकीय लाभांश पर दबाव :** AI के कारण प्रवेश-स्तर के रोजगारों में कमी भारत की विशाल युवा जनसंख्या के लिए रोजगार अवसरों को सीमित कर सकती है, जिससे जनसांख्यिकीय लाभांश की प्राप्ति प्रभावित हो सकती है।

- **सेवा-आधारित विकास मॉडल के लिए चुनौती :** आईटी, बीपीओ, परामर्श और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्र, जो पारंपरिक रूप से बड़ी संख्या में स्नातकों को रोजगार देते थे, अब नियमित कार्यों का स्वचालन कर रहे हैं।
- **कौशल एवं आय असमानता में वृद्धि :** AI और डिजिटल कौशल वाले श्रमिकों को अधिक लाभ मिलने की संभावना है, जबकि अन्य को रोजगार विस्थापन एवं स्थिर वेतन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

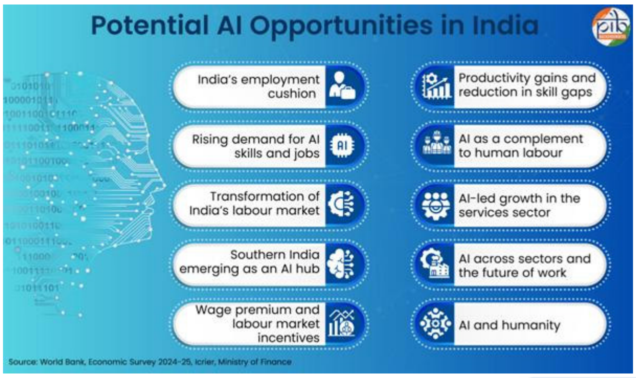

भारत द्वारा की गई पहलें

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020:** यह नीति सभी स्तरों पर डिजिटल और AI साक्षरता को मूलभूत दक्षताओं के रूप में महत्व देती है।
- **स्किल इंडिया मिशन :** कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में यह मिशन अपने प्रशिक्षण तंत्र में AI एवं उभरती प्रौद्योगिकियों को एकीकृत कर रहा है।
- **YUVAi (AI के साथ उन्नति और विकास के लिए युवा):** यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों को AI, तकनीकी एवं सामाजिक कौशल से समावेशी रूप से सशक्त बनाना है।
- **इंडियाAI फ्यूचरस्किल्स:** इंडियाAIमिशन (2024) के अंतर्गत शुरू की गई यह पहल स्नातक से लेकर डॉक्टरेट स्तर तक लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से AI-कुशल मानव संसाधन तैयार करने का प्रयास करती है।

आगे की राह

- **शिक्षा-उद्योग संबंधों का सुदृढ़ीकरण:** विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रमों को उभरती उद्योग आवश्यकताओं और तकनीकी विकास के अनुरूप बनाना चाहिए। उद्योग साझेदारियों का विस्तार कर व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- **आजीवन सीखने को प्रोत्साहन :** निरंतर पुनः-कौशल और कौशल उन्नयन हेतु एक राष्ट्रीय ढांचा विकसित किया जाना चाहिए।
- **श्रम बाजार सूचना प्रणाली में सुधार :** भारत को AI-आधारित रोजगार परिवर्तन को ट्रैक करने हेतु विस्तृत व्यावसायिक डेटाबेस और वास्तविक समय श्रम बाजार सूचना प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
- **मानव-AI पूरकता को प्रोत्साहन :** नीतिगत प्रयास ऐसे क्षेत्रों पर केंद्रित होने चाहिए जहाँ मानव रचनात्मकता, निर्णय क्षमता, सहानुभूति और समस्या-समाधान कौशल AI को पूरक बनाते हैं।

निष्कर्ष

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारत के रोजगार परिदृश्य को पुनः परिभाषित कर रही है, जिससे नियमित प्रवेश-स्तर के रोजगारों की मांग घट रही है और उन्नत कौशल तथा अनुकूलन क्षमता का महत्व बढ़ रहा है।
- समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु भारत को AI-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए अपने कार्यबल को तैयार करने के लिए शिक्षा, कौशल विकास और श्रम बाजार संस्थानों को सुदृढ़ करना होगा।

स्रोत: BW

भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य समुद्री सुरक्षा पर चर्चा

संदर्भ

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष ने नई दिल्ली में भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण की संयुक्त अध्यक्षता की।

प्रमुख बिंदु

- **समुद्री क्षेत्र जागरूकता सहयोग:** दोनों देशों ने समुद्री गश्ती विमान का उपयोग करते हुए सहयोगात्मक समुद्री क्षेत्र जागरूकता गतिविधियों को आगे बढ़ाने और जलमग्न क्षेत्र जागरूकता को बढ़ाने के अवसर खोजने पर सहमति व्यक्त की।

- **संयुक्त समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप:** दोनों पक्षों ने संयुक्त समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा की।
- **प्रक्रियात्मक अंत:क्रियाशीलता:** 2020 के परस्पर लॉजिस्टिक समर्थन व्यवस्था के आधार पर अभ्यास और अभियानों के लिए प्रक्रियात्मक अंत:क्रियाशीलता को बढ़ाने की व्यवस्थाओं की खोज करने पर सहमति बनी।
- **रक्षा औद्योगिक सहयोग:** मंत्रियों ने घोषणा की कि भारत और ऑस्ट्रेलिया रक्षा सामग्री एवं रक्षा सेवाओं के प्रावधान संबंधी समझौता ज्ञापन (MoU) विकसित करना प्रारंभ करेंगे।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों का संक्षिप्त विवरण

- **संबंधों का उन्नयन:** भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2009 में 'रणनीतिक साझेदारी' से 2020 में 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' तक अपने संबंधों को उन्नत किया।
- **द्विपक्षीय तंत्र:** 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रियों का संवाद, संयुक्त व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री आयोग, रक्षा नीति वार्ता, ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा परिषद, ऊर्जा संवाद, विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त कार्य समूह आदि।
- **द्विपक्षीय व्यापार:** वित्त वर्ष 2025 में द्विपक्षीय व्यापार $24.1 अरब तक पहुँचा। भारत का निर्यात $8.58 अरब और आयात $15.52 अरब रहा।
  - भारत ऑस्ट्रेलिया का 8वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि ऑस्ट्रेलिया भारत का 14वाँ।
  - **CECA वार्ता:** व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) पर वार्ता जारी है।
- **रक्षा और सुरक्षा:** 'चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद' (QUAD) एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं।
  - **नौसैनिक सहयोग:** 2021 में दोनों नौसेनाओं ने 'भारत-ऑस्ट्रेलिया नौसेना से नौसेना संबंध हेतु संयुक्त मार्गदर्शन' दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए।
  - **द्विपक्षीय अभ्यास:** 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया।
    - **AUSINDEX:** भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास।
    - **पिच ब्लैक अभ्यास:** भारतीय वायुसेना ने 2018 में डार्विन में पिच ब्लैक अभ्यास में भाग लिया।
  - **2020 की व्यवस्थाएँ:** परस्पर लॉजिस्टिक समर्थन व्यवस्था और रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन व्यवस्था ने जटिल सैन्य संलग्नता एवं क्षेत्रीय आपदाओं के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया को सक्षम बनाया।
- **महत्वपूर्ण खनिज एवं प्रौद्योगिकी :** ऑस्ट्रेलिया-भारत महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी पर वर्ष 2022 में हस्ताक्षर किए गए, जिसके अंतर्गत वर्ष 2023 के अंत में ऑस्ट्रेलिया-भारत महत्वपूर्ण खनिज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई।
  - इस केंद्र का उद्देश्य सतत खनन और प्रसंस्करण में नवाचार को प्रोत्साहन देना है, जिसके लिए सहयोगात्मक अनुसंधान एवं छात्रवृत्तियों हेतु सरकार द्वारा 5 मिलियन डॉलर की स्वीकृत निधि प्रदान की गई है।
- **प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी :** वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया और भारत ने प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी समझौते (MMPA) पर सहमति व्यक्त की।
  - यह एक द्विपक्षीय ढांचा है, जो दोनों देशों के बीच प्रवासन और गतिशीलता को प्रोत्साहित करता है तथा अवैध एवं अनियमित प्रवासन से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है।
- **ऑस्ट्रेलिया की भारत के साथ आर्थिक संलग्नता के लिए नया रोडमैप :** ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2025 में यह रोडमैप जारी किया, जिसमें रक्षा, खेल, संस्कृति, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी सहित लगभग 50 लक्षित अवसरों की पहचान की गई है।
- **स्वच्छ ऊर्जा :**ऑस्ट्रेलिया की नवीकरणीय ऊर्जा विशेषज्ञता का उपयोग भारत के सतत विकास लक्ष्यों को समर्थन देने हेतु किया जा रहा है।
  - इसके अंतर्गत वर्ष 2025 में भारत-ऑस्ट्रेलिया रूफटॉप सोलर प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य 2,000 महिलाओं और युवाओं को सौर तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित करना है।
- **शिक्षा एवं कौशल :** ज्ञान आदान-प्रदान और कार्यबल विकास के लिए शैक्षणिक साझेदारियों तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जा रहा है।

- **कृषि व्यवसाय :** भारत की बढ़ती मांग को पूरा करने तथा खाद्य सुरक्षा में सुधार हेतु कृषि व्यापार का विस्तार किया जा रहा है।
- **पर्यटन :** सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देने तथा वीज़ा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के माध्यम से जन-से-जन संपर्क को सुदृढ़ किया जा रहा है।

भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया का महत्व

- **इंडो-पैसिफिक में रणनीतिक साझेदार:** ऑस्ट्रेलिया मुक्त, खुले और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है।
- **महत्वपूर्ण खनिज एवं ऊर्जा स्रोत:** ऑस्ट्रेलिया लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, कोयला और एलएनजी की आपूर्ति करता है।
- **व्यापार एवं आर्थिक साझेदार:** भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA (2022) के अंतर्गत व्यापार विस्तार हो रहा है।
- **शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र:** ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों के लिए प्रमुख गंतव्य है।
- **भूराजनीतिक अभिसरण:** QUAD, IORA, EAS आदि मंचों में सहयोग से भारत को चीन के प्रभाव का संतुलन बनाने में सहायता मिलती है।

चिंताएँ

- **व्यापार असंतुलन:** भारत का निर्यात सीमित है जबकि ऑस्ट्रेलिया का संसाधन-प्रधान निर्यात अधिक है।
- **भारतीय प्रवासी एवं सुरक्षा चिंताएँ:** भारतीय छात्रों से संबंधित घटनाएँ कभी-कभी चिंता उत्पन्न करती हैं।
- **वीज़ा एवं कौशल मान्यता समस्याएँ:** कार्य वीज़ा और कौशल की पारस्परिक मान्यता में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- **कृषि बाजार पहुँच:** ऑस्ट्रेलिया के कठोर मानकों के कारण भारत को कृषि उत्पाद निर्यात में कठिनाई होती है।
- **रक्षा तकनीकी सहयोग में धीमी प्रगति:** अभ्यास सुदृढ़ हैं, परंतु रक्षा निर्माण और संयुक्त अनुसंधान में सहयोग सीमित है।

आगे की राह

- **रणनीतिक एवं रक्षा सहयोग गहन करना:** समुद्री सुरक्षा, खुफिया साझाकरण, संयुक्त रक्षा उत्पादन और QUAD आधारित पहलों को सुदृढ़ करना।
- **CECA को शीघ्रता से पूरा करना एवं व्यापार विविधीकरण:** वस्तुओं, सेवाओं, महत्वपूर्ण खनिजों और डिजिटल व्यापार में विविधता लाना।
- **महत्वपूर्ण खनिज एवं स्वच्छ ऊर्जा संबंध सुदृढ़ करना:** लिथियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना और हरित हाइड्रोजन व नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर सहयोग करना।

स्रोत: IE

भारत की गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना

संदर्भ

- भारत ने मानकों, प्रमाणन प्रणालियों और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के माध्यम से अपने गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र का उल्लेखनीय विस्तार किया है, तथापि देश को अभी भी अपने पारिस्थितिकी तंत्र में वैश्विक विश्वसनीयता और विश्वास सुनिश्चित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

भारत का गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र

- भारत के पास 22,300 से अधिक मानक हैं, जिनमें लगभग 94% अंतरराष्ट्रीय ISO और IEC मानकों के अनुरूप हैं।
- भारत 2025 के वैश्विक गुणवत्ता अवसंरचना सूचकांक में 11वें स्थान पर रहा।
- 700 से अधिक उत्पाद अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणन के अंतर्गत आते हैं, जबकि सैकड़ों उत्पाद स्वैच्छिक प्रमाणन के अंतर्गत हैं।
- भारत का गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित संस्थाओं से मिलकर बना है:
  - भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) – मानक निर्धारण हेतु
  - गुणवत्ता परिषद भारत (QCI)
  - राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशालाएँ (NABL)
  - राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाणन निकाय (NABCB)
  - निर्यात निरीक्षण परिषद (EIC)
  - क्षेत्रीय नियामक जैसे FSSAI और CDSCO, अनुरूपता मूल्यांकन एवं प्रमाणन निकाय, परीक्षण प्रयोगशालाएँ और बाज़ार निगरानी तंत्र आदि।

वर्तमान व्यवस्थाएँ क्यों अपर्याप्त हैं

- **विखंडित संस्थागत ढाँचा:** मानक, प्रमाणन, विनियमन, प्रत्यायन और प्रवर्तन की जिम्मेदारियाँ विभिन्न मंत्रालयों एवं एजेंसियों में बंटी हुई हैं।
- **BIS की भूमिकाओं का अतिव्यापन:** BIS मानक निर्धारण, प्रमाणन और कुछ नियामक कार्य करता है, जिससे हितों का टकराव हो सकता है।
- **कमज़ोर बाज़ार निगरानी:** गैर-अनुपालन उत्पाद बाज़ार में बने रहते हैं, जिससे नियम अप्रभावी हो जाते हैं।
- **निर्यात गुणवत्ता चुनौतियाँ:** निर्यात गुणवत्ता विनियमन विभिन्न एजेंसियों में बंटा हुआ है।
- **सीमित अंतरराष्ट्रीय मान्यता:** भारतीय मानकों का अनुपालन विदेशी बाज़ारों में स्वतः स्वीकार्य नहीं होता।

गुणवत्ता को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल

- **गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs):** उत्पादों को निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाने हेतु।
- **ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट (ZED) योजना:** MSMEs को गुणवत्ता निर्माण अपनाने हेतु प्रोत्साहित करती है।
- **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना:** घरेलू निर्माण को समर्थन देती है और वैश्विक गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देती है।
- **राष्ट्रीय गुणवत्ता मिशन:** उद्योगों और सार्वजनिक संस्थानों में गुणवत्ता चेतना को बढ़ावा देता है।
- **वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP):** स्थानीय उत्पादों के मानकीकरण, ब्रांडिंग और गुणवत्ता सुधार को प्रोत्साहित करता है।

आगे की राह

- **परीक्षण अवसंरचना सुधारना:** प्रत्यायित प्रयोगशालाओं और प्रमाणन सुविधाओं का विस्तार करना।
- **राष्ट्रीय गुणवत्ता प्राधिकरण की स्थापना:** एक शीर्ष निकाय जो मानक, प्रमाणन, प्रत्यायन, विनियमन और प्रवर्तन का समन्वय करे।
- **निर्यात प्रमाणन को सुव्यवस्थित करना:** अनेक एजेंसियों को तर्कसंगत बनाना और अनुपालन सरल करना।
- **मुख्य कार्यों का पृथक्करण:** मानक निर्धारण, प्रमाणन, विनियमन और प्रवर्तन को स्वतंत्र रूप से संचालित करना।
- **वैश्विक एकीकरण बढ़ाना:** अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण निकायों में भागीदारी और भारतीय प्रमाणनों की पारस्परिक मान्यता को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

- भारत के गुणवत्ता सुधारों का आगामी चरण केवल मानकों और प्रमाणनों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं होना चाहिए।
- अब ध्यान एक विश्वसनीय, भरोसेमंद और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता शासन प्रणाली बनाने पर होना चाहिए, जो उपभोक्ता संरक्षण, निर्यात प्रतिस्पर्धा और वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लक्ष्य को समर्थन दे।

स्रोत: BS

कृत्रिम जैविकी (Synthetic Biology) की उभरती हुई क्षमता

समाचार में

- जीनोम अनुक्रमण, जीन संपादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीएनए संश्लेषण में हालिया प्रगति ने सिंथेटिक बायोलॉजी के विकास को तीव्र गति प्रदान की है।

सिंथेटिक बायोलॉजी के बारे में

- सिंथेटिक बायोलॉजी जीवविज्ञान में अभियांत्रिकी सिद्धांतों का अनुप्रयोग है, जिसमें जैविक घटकों को विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने हेतु डिज़ाइन, संयोजित और संशोधित किया जाता है।
- इसमें जीवों को इस प्रकार अभियांत्रिकीकृत किया जाता है कि वे प्रकृति में पाए जाने वाले गुणों से परे नए या उन्नत गुणों को धारण कर सकें।

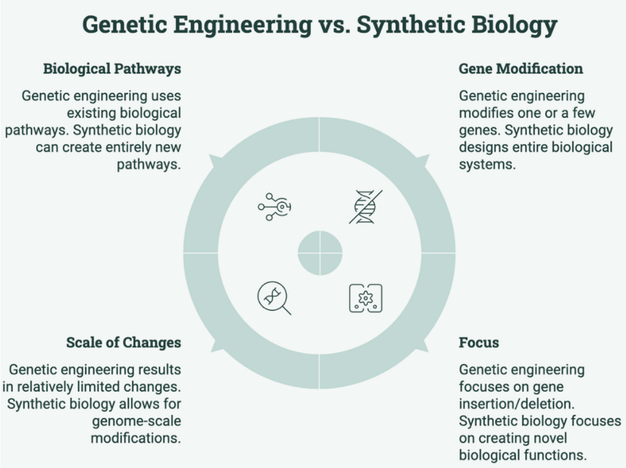

अनुप्रयोग

- **स्वास्थ्य सेवा:** अभियांत्रिकीकृत सूक्ष्मजीव अब आर्टेमिसिनिन (मलेरिया-रोधी) और इंसुलिन का उत्पादन करते हैं, बिना पौधों या पशुओं से निष्कर्षण के।
    - CAR-T सेल थेरेपी, जिसमें प्रतिरक्षा कोशिकाओं को कैंसर पर आक्रमण हेतु पुनः प्रोग्राम किया जाता है, सिंथेटिक बायोलॉजी तकनीकों का प्रत्यक्ष उत्पाद है।
- **कृषि:** नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों को पौधों को सीधे पोषक तत्व देने हेतु अभियांत्रिकीकृत किया जा रहा है, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटे।
- **ऊर्जा और पर्यावरण:** डिज़ाइनर सूक्ष्मजीव ग्रीनहाउस गैसों जैसे मीथेन को उच्च-मूल्य यौगिकों में परिवर्तित कर सकते हैं।
- **फॉरेंसिक और सामग्री:** सिंथेटिक डीएनए वॉटरमार्किंग यह दर्शाती है कि जैविक प्रणालियाँ एन्कोडेड सूचना वहन कर सकती हैं।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **जैव सुरक्षा और जैव संरक्षा:** यदि अभियांत्रिकीकृत जीव गलती से या जानबूझकर छोड़े जाएँ तो वे पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर सकते हैं।
- **नियामक अंतराल:** भारत में वर्तमान में सिंथेटिक बायोलॉजी हेतु कोई व्यापक, स्वतंत्र विनियमन नहीं है।
    - डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक वर्षों से लंबित है (अब वापस ले लिया गया)।
- **अपर्याप्त ढाँचे:** पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और पुनः संयोजित डीएनए सुरक्षा दिशानिर्देश वर्तमान गतिविधियों के पैमाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
- **समानता और पहुँच:** सिंथेटिक बायोलॉजी जैव विविधता डेटा पर अत्यधिक निर्भर है, जो भारत जैसे मेगाविविध देशों से आता है। किन्तु लाभ प्रायः वैश्विक उत्तर के प्रयोगशालाओं और निगमों को मिलता है। इससे नागोया प्रोटोकॉल से जुड़े "प्रवेश और लाभ साझा करने" (ABS) के प्रश्न उठते हैं।
- **नैतिक चिंताएँ:** बहुकोशिकीय जीवों को अभियांत्रिकीकृत करने या निषेचित अंडों में डिज़ाइनर जीनोम डालने की संभावना गहन नैतिक प्रश्न उत्पन्न करती है। चिकित्सा और संवर्धन के बीच की रेखा विवादित बनी हुई है।

भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया

- **BioE3 नीति (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार हेतु जैव प्रौद्योगिकी):** अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित। इसमें छह विषयगत क्षेत्र पहचाने गए हैं – जैव-आधारित रसायन, बायोपॉलिमर, API और स्मार्ट प्रोटीन, प्रिसीजन बायोथेरेप्यूटिक्स, जलवायु-सहिष्णु कृषि एवं कार्बन कैप्चर।
- भारत की जैव-अर्थव्यवस्था, जो 2014 में मात्र $10 अरब थी, 2024 में $165 अरब पार कर गई और 2030 तक $300 अरब का लक्ष्य रखा गया है। भारत विश्व के उन पहले देशों में है जिनके पास समर्पित जैव-अर्थव्यवस्था नीति ढाँचा है।
- **"मूलांकुर" बायोफाउंड्री हब्स:** स्टार्टअप्स, अकादमिक संस्थानों और लघु एवं मध्यम उद्यमों को साझा जैव-निर्माण अवसंरचना तक पहुँच देने हेतु प्रारंभ किए गए।

आगे की राह

- भारत को एक समर्पित **राष्ट्रीय सिंथेटिक बायोलॉजी नीति** की आवश्यकता है, जो नियामक ढाँचों को समेकित करे, स्पष्ट जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित करे और भारत के जैव विविधता-संबंधी डेटा हितों की रक्षा करे।
- शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में पारंपरिक प्रयोगशाला विज्ञान के साथ-साथ संगणनात्मक जीवविज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

- कार्टाजेना प्रोटोकॉल और CBD-COP जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की भागीदारी उसके जैव विविधता-समृद्ध राष्ट्र एवं उभरते सिंथेटिक बायोलॉजी शक्ति दोनों रूपों में हितों को प्रतिबिंबित करनी चाहिए।

निष्कर्ष

- भारत के गुणवत्ता सुधारों का आगामी चरण केवल मानकों और प्रमाणनों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं होना चाहिए।
- अब ध्यान एक विश्वसनीय, भरोसेमंद और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता शासन प्रणाली बनाने पर होना चाहिए, जो उपभोक्ता संरक्षण, निर्यात प्रतिस्पर्धा और वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लक्ष्य को समर्थन दे।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

माजुली द्वीप

संदर्भ

- बीरबल साहनी पुराजीव विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में माजुली द्वीप के लगभग 4,000 वर्षों के जलवायु, वनस्पति और नदी गतिकी का पुनर्निर्माण किया गया है।

माजुली द्वीप के बारे में

- माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में स्थित है और इसे विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या-युक्त नदी द्वीप माना जाता है।
- यह एक अद्वितीय नदीय द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित हुआ है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 875 वर्ग किलोमीटर है।
- इसके चारों ओर उत्तर में सुबनसिरी नदी, उत्तर-पूर्व में खेरीकटिया सुटी और दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी है।
- इसका भू-दृश्य जलोढ़ मैदानों, बहु-धारा चैनलों, आर्द्रभूमियों (बील्स) और नदीय रेतीले टीलों (चापोरी) से बना है।
- यह श्रीमंत शंकरदेव द्वारा स्थापित नव-वैष्णव संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है।
    - यहाँ लगभग 30 सत्र (वैष्णव मठ) हैं, जो धर्म, संस्कृति, शिक्षा और सामुदायिक शासन के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।
    - प्रमुख सत्रों में औनियाती सत्र, कमलाबाड़ी सत्र, गरामुर सत्र और दक्षिणपात सत्र शामिल हैं।
- यह द्वीप मिसिंग, देवरी और सोनवाल कछारी जैसी कई आदिवासी जनजातियों का घर है।
- द्वीप को बार-बार आने वाली बाढ़, नदी तट कटाव, वनों की कटाई और भूमि हानि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

स्रोत: DD News

ऑकस (AUKUS) गठबंधन

संदर्भ

- ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ऑकस गठबंधन को पाँच वर्ष पूरे हो गए हैं तथा हाल ही में इसने समुद्री रक्षा एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों में सहयोग का विस्तार किया है।

ऑकस के बारे में

- ऑकस सितंबर 2021 में एक त्रिपक्षीय रणनीतिक सुरक्षा साझेदारी के रूप में शुरू किया गया था।
- इसे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा चिंताओं के बीच प्रारंभ किया गया।
- इसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रक्षा क्षमताओं, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक स्थिरता को सुदृढ़ करना है।

ऑकस के दो स्तंभ

- **स्तंभ I:**
    - ऑस्ट्रेलिया को पारंपरिक हथियारों से लैस परमाणु-संचालित पनडुब्बियाँ (SSNs) प्राप्त करने में सहायता पर केंद्रित।
    - अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को तीन वर्जीनिया-श्रेणी की पनडुब्बियाँ देगा, और दो अतिरिक्त पनडुब्बियों का विकल्प भी रहेगा।
    - इससे ऑस्ट्रेलिया परमाणु-संचालित पनडुब्बियाँ संचालित करने वाला सातवाँ देश बन जाएगा।

- **स्तंभ II:**
  - कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर क्षमताएँ, जलमग्न प्रौद्योगिकियाँ और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसी उन्नत तकनीकों में सहयोग पर केंद्रित।
  - गठबंधन समुद्री सुरक्षा हेतु उन्नत मानव रहित जलमग्न वाहन (UUVs) और जल के अंदर ड्रोन प्रणालियों का भी विकास कर रहा है।

स्रोत: TH

आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ECLGS) 5.0

संदर्भ

- भारत सरकार को आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ECLGS) 5.0 के अंतर्गत ₹1.71 लाख करोड़ मूल्य के 2.62 लाख से अधिक ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं।

परिचय

- ECLGS 5.0 आपातकालीन ऋण गारंटी योजना का नवीनतम संस्करण है, जिसे मूल रूप से COVID-19 महामारी के दौरान प्रारंभ किया गया था।
- इसका उद्देश्य अस्थायी वित्तीय संकट का सामना कर रहे व्यवसायों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सहायता प्रदान करना है।
  - वर्ष 2026 में प्रारंभ की गई यह योजना MSMEs और विमानन क्षेत्र द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न व्यवधानों के कारण उत्पन्न हो रहे वित्तीय संकट को संबोधित करती है।
- यह पात्र उधारकर्ताओं को उनकी वर्तमान कार्यशील पूंजी सीमा का 20% तक अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती है।
- योजना का कुल ऋण समर्थन परिमाण ₹2,55,000 करोड़ है (जिसमें ₹5,000 करोड़ विमानन क्षेत्र हेतु)।

ऋण गारंटी संरचना

- **गारंटी कवरेज:** MSMEs के लिए सरकार बैंकों द्वारा दिए गए अतिरिक्त ऋण पर 100% गारंटी प्रदान करती है। गैर-MSME उधारकर्ताओं और विमानन क्षेत्र के लिए गारंटी कवरेज 90% है।
  - गारंटी राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से प्रदान की जाती है।

ऋण की अवधि:

- **MSMEs/गैर-MSMEs (विमानन क्षेत्र को छोड़कर):** प्रथम वितरण की तिथि से 5 वर्ष, जिसमें 1 वर्ष की स्थगन अवधि शामिल है।
- **विमानन क्षेत्र:** प्रथम वितरण की तिथि से 7 वर्ष, जिसमें 2 वर्ष की स्थगन अवधि शामिल है।
- **गारंटी कवरेज की अवधि:** गारंटी कवरेज की अधिकतम अवधि ऋण की अवधि के साथ सह-समाप्त होगी।

स्रोत: IE

समुद्री खाद्य निर्यात 2025-26 में रिकॉर्ड स्तर पर

संदर्भ

- वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात मात्रा और मूल्य दोनों में अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गया।

परिचय

- भारत का समुद्री खाद्य निर्यात 19.72 लाख मीट्रिक टन (MT) तक पहुँचा, जिसका मूल्य USD 8.46 अरब रहा, वैश्विक बाज़ार की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद।
- **फ्रोज़न झींगे (Frozen Shrimp):** भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में प्रमुख रहे, जो कुल निर्यात आय का लगभग दो-तिहाई हिस्सा रहे।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय फ्रोज़न झींगों का सबसे बड़ा आयातक रहा, इसके बाद चीन का स्थान रहा।
  - अन्य प्रमुख गंतव्यों में यूरोपीय संघ, दक्षिण-पूर्व एशिया, जापान, मध्य पूर्व और कई अन्य देश शामिल रहे।
- **फ्रोज़न मछली (Frozen Fish):** दूसरा सबसे बड़ा निर्यात वर्ग रहा।

- **सूखे समुद्री खाद्य उत्पाद:** तीसरे स्थान पर रहे और विशेष रूप से मजबूत वृद्धि दर्ज की, रुपये के मूल्य में 78.05% की वृद्धि।
- शीर्ष निर्यात गंतव्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ (EU) शामिल हैं।
- वित्त वर्ष 2025-26 में विशाखापत्तनम, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) और कोच्चि समुद्री खाद्य निर्यात कार्गो संभालने वाले शीर्ष तीन बंदरगाह रहे।

स्रोत: PIB

■■■■

NEXT IAS